|| ओ3म् ||

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,हरिद्वार–249404

(नैक से "A" ग्रेड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सैक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar-249404

(NAAC "A" Grade Accredited deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक:-GKV/SCT/ दिनांक:-

उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत उत्तराखण्ड राज्य के निर्धन सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं को उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि सत्र 2019–20 के लिये छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने हेतु भारत सरकार की वेबसाइट **http://scholarships.gov.in** खुल गई है। सत्र 2019–20 से सभी विद्यार्थियों **(नये तथा पुराने छात्रों)** के लिये छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन किये जाने की **अन्तिम तिथि 15.10.2019** है तथा जिन विद्यार्थियों ने पूर्व में आवेदन किया था तथा उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त हो चुकी है अथवा नहीं हुई है सभी विद्यार्थी नवीनीकरण करेंगे। विद्यार्थी आवेदन करने के उपरान्त तुरन्त ही अपना आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित संकाय/परिसर कार्यालय में जमा करेंगे और संकाय/परिसर कार्यालय अबिलम्ब आवेदन पत्र को अग्रसारित कर आवेदन पत्र के पृथम पृष्ठ की छायाप्रति दिनांक 15.10.019 की सायं 5.00 बजे तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ में भेज दें ताकि आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि दिनांक 15.10.2019 को ऑनलाइन अग्रसारित किया जा सके यदि कोई विद्यार्थी समय पर अपना आवेदन पत्र संकाय कार्यालय में तथा कोई संकाय कार्यालय आवेदन पत्रों को अग्रसारित करके अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ नहीं भेजता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्र/छात्रा अथवा संकाय कार्यालय की होगी। छात्र/छात्राओं को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वेबसाइट के अनुसार मांगे गए सभी प्रपत्र नये अथवा नवीनीकृत होने चाहिये तथा वह इस प्रकार स्कैन कराकर अपलोड करें कि वह स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकें। सभी छात्रों के आय प्रमाण–पत्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की तिथि से 06 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिये। संकाय कार्यालय/विद्यार्थी अन्य जानकारी के लिये वेबसाइट **http://scholarships.gov.in** का अवलोकन कर सकते हैं।

छात्रवृत्ति हेतु पात्रता–

आय सीमा
- EBC – रुपये–1,00,000 वार्षिक (आर्थिक रूप से पिछड़े (सामान्य वर्ग के निर्धन विद्यार्थी))
- SC/ST – रुपये–2,50,000 वार्षिक
- OBC – रुपये–1,00,000 वार्षिक
- PWD – रुपये–44,500 वार्षिक

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1- कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार
2- कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून
3- संकायाध्यक्ष, प्राच्यविद्या संकाय
4- संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय
5- संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
6- संकायाध्यक्ष, जीवविज्ञान संकाय
7- संकायाध्यक्ष, प्रौद्योगिकी संकाय
8- संकायाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन संकाय
9- संकायाध्यक्ष, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय
10- संकायाध्यक्ष, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य संकाय
11- निदेशक, शारीरिक शिक्षा विभाग
12- सम्पर्क अधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ
13- निजी सचिव, कुलपति कार्यालय, सूचनार्थ
14- कुलसचिव कार्यालय

कुलसचिव

4. Dr. Poonam Penuali, M.A.M., Ph.D., Assistant Professor — 4. डा0 पूनम पैन्यूली, एम.ए.एम., पीएच. डा., आस. प्राफसर
5. Dr. Vijayshree Sangwan, M.B.A., NET, Ph.D. (Guest Faculty) — 5. डा0 विजयश्री सांगवान, एमबीए, नेट, पीएच. डी. (गेस्ट फैकल

Note:- Professionals, CAs and Corporate Executives also take classes as Visiting Faculty.

|| ओ3म् ||

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार–249404

(नैक से "A" ग्रेड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सैक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar-249404

(NAAC "A" Grade Accredited deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक:-GKV/SCT/ दिनांक:- 04/09/19

सेवा में

संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान/विज्ञान/मानविकी/प्राच्यविद्या/प्रौद्योगिकी/अभि. एव प्रौद्यो./आयुर्वेद एवं आयुर्विज्ञान/स्वास्थ्य विज्ञान/प्रबन्ध अध्ययन/शिक्षा/कोर्डिनेटर क. गु. परिसर, हरिद्वार/देहरादून

विषयः– नैशनल स्कॉलरशिप पोर्टल द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन कराना।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु सत्र 2019–20 के लिये ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सूचित करने का कष्ट करें। आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15.10.2019 है। इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग वर्ग, भारतीय सेना में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित, अनुसूचचित जनजाति, जिन राज्यों के विधार्थियों को कहीं अन्य स्थान से छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है (जैसे कि उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा बर्ग) आदि सभी छात्र/छात्रायें आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक संलग्नकों के साथ एक प्रति संकाय कार्यालय में, एक प्रति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ में तथा एक प्रति विद्यार्थी को दी जायेगी जिसे वह सम्बन्धित नोडल अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को संकायाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कराकर स्वयं भेजेगा। आवेदन छात्र/छात्रा द्वारा स्वयं **www.scholarships.gov.in** पर सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत करना होगा। यदि आवेदन करने की अन्तिम तिथि में कोई परिवर्तन होता है अथवा अन्य किसी भी जानकारी के लिये समय–समय पर भारत सरकार की बेवसाइट **www.scholarships.gov.in** का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उपकुलसचिव

SC-ST Cell

03/09/19

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति जी, सूचनार्थ
2. कुलसचिव
3. सम्पर्क अधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

।। ओ३म् ।।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,हरिद्वार–249404

(नैक से "।" ग्रेड प्राप्त एवं यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सैक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar-249404

(NAAC "A" Grade Accredited deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक:-GKV/SCT/ दिनांक:- 04/09/19

सेवा में
संकायाध्यक्ष, जीव विज्ञान/विज्ञान/मानविकी/प्राच्यविद्या/प्रौद्योगिकी/अभि. एव प्रौद्यो./आयुर्वेद एवं आयुर्विज्ञान/स्वास्थ्य विज्ञान/प्रबन्ध अध्ययन/शिक्षा/कोर्डिनेटर क. गु. परिसर, हरिद्वार/देहरादून

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी सामान्य जाति तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सत्र 2019–20 के लिये प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु छात्रों को सूचित करने का कष्ट करें। संकायाध्यक्ष तथा कोर्डिनेटर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी दशा में अपात्र छात्र/छात्रा (अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा दिव्यांग वर्ग) इस योजना में आवेदन न करें। छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसकी **अंतिम तिथि 10.10.2019** है। इस प्रक्रिया से सम्बन्धित अन्य जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही हैं। किसी जानकारी के स्पष्ट न होने की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की बेवसाइट **www.scholarship.up.nic.in** पर सम्पर्क कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण कराने हेतु आप अपने संकाय/परिसर स्तर पर एक समिति का गठन कर समस्त विभागों को सूचित करें तथा सम्बन्धित विद्यार्थियों तक यह सूचना अवश्य रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करें। संकाय/परिसर स्तर पर जांच के उपरान्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित छायाप्रति प्रत्येक दशा में दिंनाक 12.10.2019 की शाम तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ को प्राप्त हो जानी चाहिये ताकि विद्यार्थियों के आवेदन पत्रों को समय पर आनलाइन अग्रसारित किया जा सके। यदि आवेदन करने की अन्तिम तिथि में कोई परिवर्तन होता है अथवा अन्य किसी भी जानकारी के लिये समय–समय पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की बेवसाइट का अवलोकन करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति जी, सूचनार्थ
2. सम्पर्क अधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ